उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

भू–हदबन्दी अपील वाद संख्या – 04/2015

मो0 अकबर बनाम् हरिलाल महतो एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

19-02-2021

–:: आदेश ::–

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–हदबन्दी वाद संख्या– 03/2008–09 मो0 इलियास वगै0 बनाम् हरिलाल महतो वगै0 में दिनांक 02/03/2010 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी मो0 अकबर पिता स्व0 नजमुल मियां, ग्राम करमा, थाना माण्डू, जिला– रामगढ़ द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1961 की धारा–30 के तहत् अपील दायर किया गया है।

अपलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन एवं निम्न न्यायालय में पारित आदेश में उल्लेखित प्रश्नगत् भूमि मौजा–करमा, खाता नं0– 29, प्लॉट नं0–77, रकवा–$0.25\frac{3}{4}$ एकड़ भूमि के बावत् अपना पक्ष/दावा रखने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई। संबंधित दायर अपील वाद में निर्धारित तिथि दिनांक–16.12.2020 को वाद से संबंधित प्रश्नगत् भूमि से संबंधित अपना पक्ष/दावा/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष उपस्थाति करने हेतु अपीलार्थी को अंतिम अवसर दिया गया, परन्तु अपीलार्थी द्वारा सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि यथा दिनांक–15.01.2021, दिनांक–29.01.2021 तथा दिनांक 19.02.2021 को न्यायालय में पुकार करने पर अनुपस्थित पाये गयें। फलतः ऐसा प्रतित् होता है कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन के आलोक में प्रारम्भ की गई वाद की सुनवाई/निस्तारित करने में रूचि नहीं है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी आदेश/मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। अभिलेख संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

19/02/21

उपायुक्त,
रामगढ़।

19/02/21

उपायुक्त,
रामगढ़।